150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/ 2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् तहत श्रीमती नीतिका तलवार व्याख्याता इतिहास का स्थानांतरण राउमावि, खोराविसल, जयपुर से राउमावि, रेपला बकानी, झालावाड किया गया। नीतिका तलवार ने अपने स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3957/2019 नीतिका तलवार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2019 द्वारा अपीलार्थी को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं प्रत्यर्थी विभाग को न्यायासंगत एवं उचित सकारण आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में अपीलार्थी नीतिका तलवार ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं स्पाईनलकार्ड की गंभीर बीमारी से पीडित होने तथा स्थानान्तरण स्थान 400 कि.मी दूर होने के आधार निम्नलिखित रिक्त पदः– 1. राउमावि, कोटखावदा,जयपुर 2. राउमावि, रूपाहेडीकलॉ, जयपुर 3.राउमावि, रामसर पालावाला, जयपुरी 4. राउमावि जटवाडा जयपुर 5. राबाउमावि मौजमाबाद, जयपुर के रिक्त पद पर पदस्थापन की मांग की गई है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किए गए स्थानान्तरण आदेश मे राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंधन नहीं पाया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन द्वारा यथावत/वांछित स्थान की मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाकर निस्तारित किया जाता है। शिवराज डाकोत को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–2/अभ्यावेदन/नीतिका तलवार/को.के/19–20 दिनांकः–२०/12/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमति नीतिका तलवार के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर